

Continuation Note Sheet

२१-३-२५

वकीलवादी अपण वकीलवादी द्वारा प्रकरण
में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहता। वकील
वादी द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं
- चाहने पर प्रकरण को स्थगित किया जाता है
परावली द्वारा नाखर से कम होकर
बचतकमील जाबता दारिदल अभिलेखपात्र
हो। ७

वकील
नहीं करना
चाहता।
७

